



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 397]

नई दिल्ली, बहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2019/कार्तिक 23, 1941

No. 397]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2019/KARTIKA 23, 1941

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 13 नवम्बर, 2019

## विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका), (संशोधन) विनियमावली, 2019

सं. फेमा. 14(आर)/(1)/2019-आरबी.—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं. फेमा.14(आर)/2016-आरबी) (जिसे इसके पश्चात "मूल विनियमावली" कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात:-

### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) (संशोधन) विनियमावली, 2019 कहलाएगी।
- (ii) यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

### 2. मूल विनियमावली में:

(ए) विनियम 2 में, खंड (iv) के बाद निम्नलिखित नया खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात

- (v) 'एसएनआरआर खाते' से तात्पर्य है विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा), विनियमावली, 2016 के विनियम 5 के उप-विनियम (4) में संदर्भित विशेष अनिवासी रुपया खाता।

(बी) विनियम 4 में,

- (i) उप-विनियम (1) में खंड (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः  
 “विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा), विनियमावली, 2016, में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति (समुद्रपारीय खरीदार) द्वारा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक के पास बनाए रखे गए एफ़सीएनआर/ एनआरई/ एसएनआरआर खाते से डेबिट कर के”
- (ii) उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थातः  
 “(3) भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के एसएनआरआर खाते से भी भुगतान प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु यह सुनिश्चित करने के बाद कि अंतर्निहित लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए नियम, विनियम तथा निदेशों के अनुसार हैं”
- (सी) विनियम 6 में,  
 (i) उप-विनियम (2) में खंड (iii) के बाद निम्नलिखित नए खंडों को अंतर्विष्ट किया जाएगा, अर्थातः  
 “(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा), विनियमावली, 2016, में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति (समुद्रपारीय विक्रेता) द्वारा भारत में आयात करने हेतु भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी अथवा प्राधिकृत बैंक के पास बनाए रखे गए एसएनआरआर खाते में जमा कर के ”  
 (v) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति के एसएनआरआर खाते में रुपये में, किन्तु यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि अंतर्निहित लेनदेन विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी किए गए नियम, विनियम तथा निदेशों के अनुसार हैं।”

अजय कुमार मिश्र, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन- III/4/असा./289/19]

### फुट नोट :

विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति एवं भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 (दिनांक 02 मई 2016 की अधिसूचना सं. फेमा.14(आर)/2016-आरबी) को दिनांक 03.05.2016 के सा.का.नि. सं. 480(अ) के माध्यम से सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया तथा तदुपश्चात निम्नलिखित के माध्यम से इसे संशोधित किया गया, अर्थातः :

**RESERVE BANK OF INDIA**  
**(Foreign Exchange Department)**  
 (CENTRAL OFFICE)  
**NOTIFICATION**

Mumbai, the 13th November, 2019

**Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2019**

**No. FEMA 14(R)/(1)/2019-RB.**—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendment in the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2016 (Notification No. FEMA 14(R)/2016-RB dated May 02, 2016) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:-

**1. Short title and commencement.**

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) (Amendment) Regulations, 2019.

(ii) They shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Principal Regulations:

(a) in regulation 2, after clause (iv), the following new clause shall be inserted, namely, :-

(v) 'SNRR account' means a Special Non-Resident Rupee account referred to in sub. regulation (4) of regulation 5 of Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

(b) in regulation 4,

(i) in sub-regulation (1), for clause (ii), the following shall be substituted, namely:

“by debit to FCNR/ NRE/ SNRR account maintained by a person resident outside India (overseas buyer) with an Authorised Dealer or an Authorised Bank in India, as specified in Foreign Exchange Management (Deposits) Regulations, 2016;”

(ii) after sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely:

“(3) Payment may also be received in rupees by a person resident in India from SNRR Account of person resident outside India after ensuring that the underlying transactions are in conformity with the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules, regulations and directions issued thereunder. ”

(c) in regulation 6,

(i) in sub-regulation (2), after clause (iii), the following new clauses shall be inserted, namely:

“(iv) by credit to SNRR account maintained by a person resident outside India (overseas seller) with an Authorised Dealer or an Authorised Bank in India for imports into India, as specified in Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2016.

(v) in rupees to SNRR account of the person resident outside India after ensuring that the underlying transactions are in conformity with the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules, regulations and directions issued thereunder. ”

AJAY KUMAR MISRA, Chief General Manager-in-Charge

[ADV.T.-III/4/Exty./289/19]

**Foot Note:**

The Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2016, (Notification No. FEMA 14(R)/2016-RB dated May 02, 2016) was published in the Official Gazette vide G.S.R. No. 480(E) dated 03.05.2016